राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
रमजान बनाम मिट्ठू वगैरह (89/2022)

दिनांक 07.06.2022
पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 20.05.2022 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 01.12.2021 को किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया मात्र नोटिस जारी कर दिये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् यह प्रावधान दिये गये है कि जहॉ विवादित आराजीयात के संदर्भ में कोई वाद विचाराधीन है तो वाद को दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो उपरोक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य है। जिससे बेवजह अन्य कार्यवाही ना बढ़े। ऐसी स्थिति में जो आदेश उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने जारी किया है वह न्याय की श्रेणी में नहीं आकर काबिल दुरुस्ती योग्य है। आर.बी.जे. 1994 पेज 24 पर राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जहां किसी प्रकरण को न्यायालय विचारणार्थ ग्रहण कर लेता है। वहॉ पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है। इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनकर बिना किसी आधार के नोटिस जारी कर दिये जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावें कि वे विवादित आराजीयात पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें, किसी प्रकार से रहन, बय मुन्तकिल नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अपील मियाद अवधि के अन्दर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा के द्वारा की गई वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट के आग्रह पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट के अनुसार भूमि पैतृक है तथा उनके द्वारा एक दावा और उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णण न करते हुए रेस्पोडेन्टस की तलवी हेतु पत्रावली को नियत की है। उक्त आदेश दिनांक 01.12.2021 को दिया गया। अपील मीमो के व पैरा के अनुसार **"राजस्व रिकार्ड में छीतर पुत्र प्रताप का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त करा कर वादी को खातेदार घोषित किये जाने का वाद प्रस्तुत किया।"** वाद अभी प्रारम्भ स्तर पर है इसमें आवश्यक साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना है वर्तमान में पत्रावली पर अपील मीमो के अलावा अन्य कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध नही हो कि विवादित भूमि अपीलांट के पूर्वजों के नाम रही हों। अपील मीमो से यह स्पष्ट है अपीलांट का वर्तमान में दर्ज नहीं है ऐसी

7.6.2022
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

स्थिति में अपीलांट को कोई लाभ इस स्तर नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार आदेश देना उचित नहीं समझता है किन्तु प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में उभयपक्ष पक्षाकरान को सुनवाई का अवसर देते हुए आवश्यक रूप करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

7.6.2022

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर